

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 06.11.2025

01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त राममिलन यादव पुत्र मन्नर यादव निवासी निरुद्धीन चक संझाई थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 722/2025 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राम मिलन यादव पुत्र श्री मन्नर यादव निवासी निरुद्धीन चक संझाई थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 722/2025 धारा 8/20 NDPS ACT थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण –

01.100 किलोग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी की टीम -

1. थानाध्यक्ष सूरज सिंह थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 हरिशंकर यादव थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 विशाल श्रीवास्तव थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर
4. का0 प्रदीप यादव थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर